बिहार सरकार,
कृषि विभाग

पत्र संख्या–11 / कृ0नि0भू0सं0(यो0)10 / 2017– 898 / भूमि संरक्षण, पटना दिनांक 06/03/2019

प्रेषक,

रवीन्द्र नाथ राय,
विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
बीरचन्द पटेल पथ, पटना।

#अनौपचारिक रूप से परामर्शित **#द्वारा** – वित्त विभाग।

विषय – **कृषि क्षेत्र में मौसम में होने वाले परिवर्तन का पुर्वानुमान कर समय पर चेतावनी/परामर्श निर्गत करने के लिए वित्तीय वर्ष 2017–18 में स्वीकृत टेलीमेट्रिक आधारित हाईड्रोमेटरोलॉजिकल नेटर्वक के विकास की योजना मेघदूत (चरण–।) के अन्तर्गत नालंदा, सुपौल एवं पूर्वी चंपारण के लिए स्वीकृत योजना को पुनरीक्षित कर योजना राशि को 1486.12 लाख (चौदह करोड़ छियासी लाख बारह हजार) रु0 से बढ़ाकर 2059.192 लाख (बीस करोड़ उनसठ लाख उन्नीस हजार दो सौ) रु0 करने तथा उक्त राशि से वित्तीय वर्ष 2018–19 से 2022–23 तक योजना कार्यान्वयन एवं व्यय की स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए 41.61 लाख रु0 की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।**

आदेश : स्वीकृत

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 2960 दिनांक 25.07.2017 द्वारा कृषि क्षेत्र में मौसम में होने वाले परिवर्तन का पुर्वानुमान कर समय पर चेतावनी निर्गत करने के लिए पायलेट प्रोजेक्ट के रुप में टेलीमेट्रिक आधारित हाईड्रोमेटरोलॉजिकल नेटर्वक का विकास हेतु 1486.12 लाख रु0 की लागत से तीन जिले– नालंदा, सुपौल एवं पूर्वी चंपारण के सभी ग्राम पंचायतों में टेलीमेट्रिक आधारित रेनगॉज तथा प्रखंड में टेलीमेट्रिक आधारित वेदर स्टेशन के स्थापना की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसी योजना को पुनरीक्षित कर योजना राशि को 1486.12 लाख (चौदह करोड़ छियासी लाख बारह हजार) रु0 से बढ़ाकर 2059.192 लाख (बीस करोड़ उनसठ लाख उन्नीस हजार दो सौ) रु0 करने तथा उक्त राशि से वित्तीय वर्ष 2018–19 से 2022–23 तक योजना कार्यान्वयन एवं व्यय की स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए 41.61 लाख रु0 की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इस योजना के लिए कुल 1486.12 लाख रु0 वित्तीय वर्ष 2017–18 में स्वीकृत किया गया है (राज्यादेश संख्या 2960 दिनाक 25.07.2017)। यह राशि वर्तमान में BWDS के PL खाता संख्या– PLA 265 में धारित है। योजना स्वीकृति के उपरान्त ई–टेंडर के माध्यम से अन्तिम रुप सें चयनित एजेंसी मेसर्स ओबेल सिस्टम प्रा0 लि0 सिकंदराबाद से नियमानुसार प्राप्त निविदा दर के अनुसार योजना कार्यान्वयन हेतु अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त योजना में आकस्मिक व्यय हेतु भी राशि की आवश्कयता के फलस्वरुप योजना पुनरीक्षित किया गया है। नालंदा, सुपौल एवं पूर्वी चम्पारण के 777 ग्राम पंचायतों में Telemetric Rain Gauge (TRG) तथा सभी 58 प्रखंडों में Telemetric Weather

1

Station (TWS) की आपूर्ति, संस्थापन एवं संस्थापन के एक वर्ष के बाद से अगले चार वर्षो तक AMC (Annual Maintainance Contract) के लिए कुल 2018.816 लाख रु0 तथा आकस्मिक व्यय हेतु 40.376 लाख रु0 कुल 2059.192 लाख रु0 की आवश्यकता निम्न प्रकार से है :— राशि लाख रु0 में

District Name	Administrative unit		2018-19 TWS / TRG Cost (including GPRS / GSM Communication Charges)	Maintenance cost after 1 year warranty / administrative Cost				Total
	Unit Type	Number of Units		2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	
1	2	3	5	6	7	8	9	**10**
Nalanda	Block (TWS)	20	70.615	2.660	3.015	3.015	3.265	**82.570**
	GP (TR)	229	387.523	30.462	34.524	34.524	37.387	**524.420**
Supaul	Block (TWS)	11	38.838	1.463	1.658	1.658	1.796	**45.413**
	GP (TR)	170	287.681	22.613	25.629	25.629	27.754	**389.306**
East Champaran	Block (TWS)	27	95.330	3.592	4.071	4.071	4.408	**111.472**
	GP (TR)	378	639.667	50.282	56.987	56.987	61.712	**865.635**
Sub Total	Block (TWS)	**58**	**204.783**	**7.715**	**8.744**	**8.744**	**9.469**	**239.455**
	GP (TR)	**777**	**1314.871**	**103.357**	**117.140**	**117.140**	**126.853**	**1779.361**
Total :-		**835**	**1519.654**	**111.072**	**125.884**	**125.884**	**136.322**	**2018.816**
Administrative Cost (Travel allowance, Training and Contingencies @ 2 % of Project cost :→			8.076	8.075	8.075	8.075	8.075	**40.376**
Year wise actual requirement :→			**1527.730**	**119.147**	**133.959**	**133.959**	**144.397**	**2059.192**
Already Sanctioned / Available Amount :→			**1486.120**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**1486.120**
Additional Financial Requirement :→			**41.610**	**119.147**	**133.959**	**133.959**	**144.397**	**573.072**

योजना अन्तर्गत अबतक कुल स्वीकृत / उपलब्ध राशि :— 1486.120 लाख रु0

पुनरीक्षित संभावित व्यय :— 2059.192 लाख रु0

आवश्यक अतिरिक्त राशि :— 573.072 लाख रु0

3. TWS/TRG से प्राप्त डाटा का संग्रहण एवं विश्लेषण कर सूचना प्रसारित करने हेतु डाटा सेंटर की स्थापना के लिए अलग से योजना स्वीकृत कराया जाना है। ऐसी स्थिति में स्वीकृत योजना राशि 1486.12 लाख रु0 के अन्तर्गत Control and Analysis Centre के स्थापना की राशि 80.00 लाख रु0 एवं वर्ष 2017—18 के लिए पारिश्रमिक की राशि 22.80 लाख रु0 कुल 102.80 लाख रु0 की आवश्यकता नही है। अतएव उक्त राशि को TWS एवं TRG क्रय की राशि मानते हुए पुनरीक्षित संभावित व्यय के अनुसार योजना को पूर्ण करने हेतु अतिरिक्त राशि 573.072 लाख रु0 की स्वीकृति एवं योजना मे संशोधन किया गया है। योजनान्तर्गत कुल स्वीकृत राशि, संशोधित संभावित व्यय एवं आवश्यक अतिरिक्त राशि का कार्यमदवार विवरण निम्न प्रकार से है :— *राशि लाख रु0 में*

कार्यमद	राज्यादेश संख्या 2960 दिनाक 25.07.2017 के द्वारा कुल स्वीकृत राशि / उपलब्ध राशि	ई—टेंडर के उपरान्त संशोधित संभावित व्यय के अनुसार कुल आवश्यक राशि	आवश्यक अतिरिक्त राशि
TWS एवं TRG आपूर्ति की राशि	1383.32000	1519.65400	136.33400
AMC की रशि	0.00000	499.16200	499.16200
प्रशासनिक व्यय	0.00000	40.37600	40.37600
वर्ष 2017—18 के लिए पारिश्रमिक की राशि	22.80000	0.00000	-22.80000
Control and Analysis Centre की स्थापना	80.00000	0.00000	-80.00000
कुल	1486.12000	2059.19200	573.07200

उपर्युक्त तालिका के अनुसार पूर्व में स्वीकृत योजना के पुनरीक्षण पश्चात इस योजना का संभावित व्यय 1486.12 लाख रु0 से बढकर 2059.192 लाख रु0 हो जायेगा। इस प्रकार से पूर्व में स्वीकृत योजना के कार्यघटको में से Control and Analysis Centre की स्थापना एवं पारिश्रमिक को विलोपित करते हुए उक्त कार्य घटकी की राशि को TWS एवं TRG आपूर्ति की राशि में जोड़ा गया है तथा पूर्व में स्वीकृत सुपौल जिला के भौतिक लक्ष्य को संशोधित करते हुए 11 TWS एवं 170 TRG किया गया है।

4. योजनान्तर्गत प्रखंड एवं ग्राम पंचायत स्तर पर TWS एवं TRG स्थापना हेतु तकनीकी रुप से उपयुक्त स्थल चयन किया जायेगा। स्थल चयन की प्रक्रिया में उपकरणों की सुरक्षा एवं दक्षता का विशेष ध्यान रखा जायेगा। ग्राम पंचायत स्तर पर किसान सलाहकार द्वारा टेलीमेट्रिक आधारित रेनगॉज का तथा प्रखंड स्तर पर टेलीमेट्रिक आधारित वेदर स्टेशन का कृषि समन्वयक द्वारा अनुश्रवण, देखरेख एवं प्रणाली को सूचारु रुप से चलाने की व्यवस्था की जायेगी। जिला कृषि पदाधिकारी लगातार इसका पर्यवेक्षण करते रहेंगे। योजना का प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति एवं संचालन कृषि विभाग, भूमि संरक्षण निदेशालय के द्वारा किया जायेगा। इस योजना का कार्यान्वयन बिहार जलछाजन विकास समिति (BWDS) द्वारा किया जायेगा। इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान सचिव, कृषि विभाग होंगे। निदेशक भूमि संरक्षण –सह– मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी राज्य स्तर पर योजना के कार्यान्वयन पदाधिकारी होंगे। जिला स्तर पर जिला कृषि पदाधिकारी इसके पर्यावेक्षण के लिए जिम्मेवार होंगे। इस योजना के नोडल पदाधिकारी संयुक्त निदेशक (कृषि अभियंत्रण), भू0स0–सह–प्रभारी आपदा पदाधिकारी, भूमि संरक्षण निदेशालय होंगे। योजना के कार्यान्वयन में प्रशासी विभाग द्वारा आवश्यक संशोधन किया जा सकेगा।

5. भूमि संरक्षण निदेशालय, बिहार, पटना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा सचिवालय कोषागार विकास भवन, पटना से स्वीकृत राशि की निकासी हेतु विपत्र बी0टी0सी0 फार्म 46 में तैयार किया जायेगा तथा कोषागार पदाधिकारी द्वारा विपत्र पारित कर राशि बिहार वाटरशेड डवलपमेंट सोसाइटी, पटना के पी0एल0 खाता संख्या PLA-265 में अंतरित की जायेगी। BWDS द्वारा उक्त राशि का अलग से लेखा संधारित किया जायेगा।

6. बजट शीर्ष एवं स्वीकृत राशि का विवरण निम्न प्रकार है :– (राशि लाख रू0 में)

बजट शीर्ष	उपबंधित राशि	वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए स्वीकृत राशि
मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि–कर्म, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष– 104–कृषि फारम, मांग संख्या–01, उपशीर्ष–0106–कृषि नवीनता में प्रोत्साहन, विपत्र कोड–01–2401001040106, विषय शीर्ष– 0106.27.01 लधु कार्य	1013.110	34.536
मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि–कर्म, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–789-- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, मांग संख्या–01,उपशीर्ष–0147–कृषि नवीनता में प्रोत्साहन, विपत्र कोड–01–2401007890147, विषय शीर्ष– 0147.27.01 लधु कार्य	195.300	6.658
मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि–कर्म, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उप योजना, मांग संख्या–01, उपशीर्ष 0169 कृषि नवीनता में प्रोत्साहन,विपत्र कोड–01–2401007960169, विषय शीर्ष–0169.27.01 लधु कार्य	12.210	0.416
कुल	**1220.620**	**41.610**

7. उपर्युक्त स्वीकृत राशि 41.610 लाख रु0 का उपबंध सम्बंधित बजट शीर्ष में उपलब्ध रहने पर आवंटन आदेश निर्गत किया जायेगा।

8. वित्त विभाग के संकल्प संख्या–3758 वि0 दिनांक 31.05.2017 में निहित प्रावधान के आलोक में योजना के कार्यान्वयन में विभागीय स्थायी वित्त समिति की अनुशंसा दिनांक 24.10.2018 को प्राप्त है। स्थायी वित्त समिति की अनुशंसा के आलोक में माननीय मंत्री, कृषि का अनुमोदन संचिका संख्या 11/कृ0नि0भू0सं0(यो0)10/2017 के पृ0 59/टि0 दिनांक 08.11.2018 को एवं माननीय वित्त मंत्री का अनुमोदन पृ0 81/टि0 दिनांक 23.01.2019 को प्राप्त है।

9. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या–7355 वि0 (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नही है।

10. राज्यादेश में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सशर्त सहमति संचिका संख्या 11/कृ0नि0भू0सं0(यो0)10/2017– के पृ0सं0– 86/टि0 पर दिनांक 18.02.2019 को प्राप्त है। इस सशर्त सहमति के आलोक मे स्वीकृत्यादेश पर प्रधान सचिव, कृषि, बिहार का अनुमादेन उपर्युक्त संचिका के पृ0 91/टि0 पर दिनांक 26.02.2019 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

Rdindw 5.3.19

(रवीन्द्र नाथ राय)
विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञाप संख्या– 893 /कृ0, पटना, दिनांक 06/03/2019

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, अंकेक्षण, महालेखाकार (ले० एवं ह०) कार्यालय, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3. कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Rdindw 5.3.19

विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञाप संख्या– 893 /कृ0, पटना, दिनांक 06/03/2019

प्रतिलिपि– माननीय मंत्री कृषि, बिहार के आप्त सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त के आप्त सचिव, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, कृषि के आप्त सचिव/कृषि निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, उद्यान, बिहार, पटना/ निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार, पटना/निदेशक, पी०पी०एम०, कृषि विभाग, बिहार, पटना/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, BWDS/ संबंधित प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य) कृषि/योजना के नोडल पदाधिकारी, संयुक्त निदेशक (कृ0अ0) भूमि संरक्षण –सह– विभागीय प्रभारी आपदा पदाधिकारी/ संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी/संबंधित अनुमंडल कृषि पदाधिकारी/मुख्यालय स्थित सभी संबंधित पदाधिकारीगण/बजट एवं योजना शाखा (सचिवालय एवं निदेशालय) कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित तथा उप कृषि निदेशक (सूचना), बिहार, पटना को विभाग के बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

Rdindw 5.3.19

विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।